

Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to provide adequate compensation to farmers whose lands have been acquired for fencing purpose in border areas of Jammu and Kashmir.

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जम्मू कश्मीर राज्य के उन सीमावर्ती स्थानों की ओर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ की सीमा पर तारबंदी हुई है। तारबंदी के कारण तारबंदी के दूसरी ओर जो खेती की जमीन थी एवं जिसका अधिग्रहण कर लिया गया है, उस जमीन पर खेती करने वाले किसान बेरोजगार हो गए हैं। उनकी जमीन ही एकमात्र सहारा है। जब से उनकी जमीन तारबंदी के तारों से उस पार चली गई है, तब से वह बड़ी मुसीबतों की जिन्दगी जी रहे हैं। उनको भुखमरी की नौबत आ गई है। इस तारबंदी की व्यवस्था में उन गरीब किसानों का क्या दोष है? ना ही उन्हें कोई रोजगार मिला और ना ही उन्हें उस जमीन का मुआवज़ा अभी तक मिला है, जिससे कि वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।

अतः सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि उन किसानों को जल्द से जल्द मुआवज़ा देने का कष्ट करें।

माननीय सभापति : श्री राहुल कस्वां जी – उपस्थित नहीं।

श्रीमती मंगल सुरेश अंगड़ी – उपस्थित नहीं।